134/13 छीतर v/s कालया

टिप्पणी (क्रमिक)

जी. ई. एन. 19

04/12/12 न्यायालय पत्र [illegible]
[illegible] में
अवसर देते हुए। पूर्वानुसार न्यायालय
दिनांक 20/2/18 को पेश हो।

20/2/18 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पर पेश नोटिस जारी नहीं किये अब जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 7/5/18 को पेश हो

नोटिस जारी
1546-52
21/2/18

10/5/18 पत्रावली आज दिनांक को कैम्प न्यायालय आपके द्वारा कैम्प चादण्डिया में प्रस्तुत हुई वादी के बार-बार अवसर लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं अतः वादी के पक्ष को अदम पैरवी व अदम रुचि में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होगा वाद खर्चा दाखिल उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़